यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून** के स्थापनासे 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार-II एवं श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15-12-2020से 23-12-2020 तक श्री टी0 एस0 नेगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकःइस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून** का मुख्य कार्यकलाप आयोग में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही कर उनका निस्तारण करना है।

(अ) स्थापना से वर्तमान तक बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू॰	बचत स्थापना (-) रू॰	बचत गैर स्थापना (-) रू॰
	स्थापना रू॰	गैर स्थापना रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰			
2003-04	--	--							
2004-05	--	--	20.75	15.64	3.96	3.87		5.11	0.09
2005-06	--	--	22.11	19.70	--	--		2.41	--
2006-07	--	--	33.44	23.31	--	--		10.13	--
2007-08	--	--	40.22	14.58	--	--		25.64	--
2008-09	--	--	31.48	27.33	--	--		4.15	--
2009-10	--	--	32.60	25.79	--	--		6.81	--
2010-11	--	--	40.60	37.99	--	--		2.61	--
2011-12	--	--	45.59	42.64	--	--		2.95	--
2012-13	--	--	51.16	38.33	--	--		12.83	--
2013-14	--	--	38.27	28.94	--	--		9.33	--
2014-15	--	--	35.43	27.10	--	--		8.33	--
2015-16	--	--	44.57	41.53	--	--		3.04	--
2016-17	--	--	47.61	43.89	--	--		3.71	--
2017-18	--	--	52.46	49.81	--	--		2.65	--

2018-19	--	--	58.62	49.79	--	--		8.83	--
2019-20	--	--	39.73	29.70	--	--		10.03	--
2020-21 (11/2020 तक)	--	--	32.36	35.03	--	--		--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)/बचत(-)
2017-18		शून्य			
2018-19					
2019-20					
2020-21 (10/2020 तक)					

(ii) इकाई को बजटउत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. लेखकर 3. वैयक्तिक सहायक 4. वरिष्ठ लिपिक आदि .

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2019, एवं 01/2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।राज्य सरकार से प्राप्त धनराशिका विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथालेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II (ब)

प्रस्तर 01: अनुसूचित जनजाति के छात्र को पाँच वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाना।

समाज कल्याण विभाग के द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातिके छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करे तथा उनका सामाजिक उत्थान हो सके।

कार्यालय सचिव,उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग,देहरादूनके छात्रवृत्ति अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि सुमित कुमार पुत्र श्री इलाम चन्द्र ने वर्ष 2015-16 में आयोग में शिकायत दर्ज करायी कि वह क्वान्टम स्कूल ऑफ टेक्नोलोजी, भगवानपुर में बी.टेक. में अध्ययनरत है उक्त छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गयी है। जिसके लिए छात्र के द्वारा वर्ष 2015-16 में पुनः शिकायत दर्ज करायी लेकिन आयोग के द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। जिससे उक्त छात्र को लेखा परीक्षा अवधि तक छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त से स्पष्ट था कि आयोग के द्वारा उक्त छात्र को छात्रवृत्ति दिलाने में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। जिससे उक्त छात्र की शिकायतों का निवारण न करते हुये संबन्धित लाभ से वंचित रखा गया जिससे उनको आर्थिक क्षति भी हो रही थी।

प्रकरण के सम्बंध में इंगित किए जाने पर आयोगने अवगत कराया कि छात्रों को अभी भुगतान नहीं किया गया है, जो समाज कल्याण विभाग स्तर पर लम्बित है। संबन्धित प्रकरण का वर्ष 2015 से संज्ञान नहीं लिए जाने के सम्बंध में अवगत कराया कि आयोग में स्टाफ की कमी होने से पत्राचार नहीं किया जा सका।

आयोग द्वारा स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है कि अनुसूचित जाति के छात्र को पाँच वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सका। आयोग के द्वारा पाँच वर्षों से संबन्धित प्रकरणमें कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया एवं उक्त छात्र को छात्रवृत्ति दिलाने में कोई रुचि नहीं ली गयी।

अतः अनुसूचित जनजाति के छात्र को पाँच वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 02: विभाग की उदासीनता से धनराशि रूपये 2.5 लाख की वित्तीय सहायता सात वर्षों से भुगतान न किया जाना।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली 2016 के नियम 14 के द्वारा परिशिष्ट-1 को भी प्रतिस्थापित किया गया है जिसके क्रमांक 25 के अन्तर्गत पीड़िता को रूपये 2,00,000/- की वित्तीय सहायता निम्नवत देय है-

- 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर।
- 25 प्रतिशत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने पर।
- 25 प्रतिशत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ट्रायल पूर्ण होने पर।

अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ अप्राकृतिक लिंगीय अपराध किए जाने पर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग-3 सं. 4520/XX-3-2012-05(09) 2011 देहरादून, 16 जुलाई 2013 के शासनादेशानुसार अनुसूची-01 के क्रम संख्या-09 के अनुसार नाबालिक पीड़िता को धनराशि रूपये 2,50,000/- दिया जायेगा।

कार्यालय सचिव उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि देवेन्द्र कुमार ने वर्ष 10/2015 की शिकायत में उसकी पुत्री का 10 अगस्त 2013 को ग्राम ठसका, तहसील मंगलौर, जनपद हरिद्वार में अनुसूचित जाति की नाबालिक लड़की के साथ गाँव के ही दो दबंग बिगड़े लड़कों ने बलात्कार किए जाने की घटना घटित हुई, जिसको आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया।शिकायत में प्रार्थी का कहना था कि अध्यक्ष,उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून आयोग व राज्य महिला आयोग ने आश्वासन दिया था कि पीड़िता को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जायेगी। परन्तु उपरोक्त घटना को घटित हुये दो वर्ष से अधिक का समय बीत जाने पर भी आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है। जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा दिनांक 13.01.2016 को अवगत कराया कि शासनादेशनुसार अनुसूची-1 के क्रम संख्या-9 के अनुसार पीड़िता को रूपये 2,50,000/- दिये जाने का प्रावधान है। आयोग के द्वारा दिनांक 29.04.2016 को जिलाधिकारी हरिद्वार की आख्या के आधार पर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 20.12.2016 में शिकायतकर्ता ने पुनः आवेदन किया कि उसे सहायता राशि प्रदान कराएं।

उक्त से स्पष्ट था कि पीड़िता को जो धनराशि 07 वर्ष पूर्व मिल जानी थी वह वर्तमान तक प्रदान नहीं की गयी और समाज कल्याण विभाग स्तर से पीड़िता को समुचित धनराशि प्रदान किए जाने उदासीनता बरती गयी। आयोग द्वारा मई 2016 के पश्चात चार वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी धनराशि प्रदान किए जाने के सम्बंध

में कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं पीड़िता को उस लाभ से वंचित किया गया, जो आयोग की उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर आयोग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि पीड़िता को अभिलेखानुसार भुगतान किया नहीं किया गया है। पीड़िता को सात वर्षों से अधिक समय से भुगतान न किए जाने के सम्बंध में अवगत कराया कि समाज कल्याण विभाग से पत्राचार कर जानकारी प्राप्त कर सम्प्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पीड़िता को धनराशि वर्ष 2013-14 में प्राप्त हो जानी चाहिये थी, वह लेखा परीक्षा तिथि (दिसम्बर 2020) तक प्रदान नहीं की गयी। जिलाधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग स्तर से पीड़िता को समुचित धनराशि प्रदान न किए जाने में उदासीनता बरती गयी।इसके अतिरिक्त सात वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी पीड़िता उस लाभ से वंचित किया गया, जो आयोग की उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

अतः आयोग की उदासीनता से धनराशि रूपये 2.5 लाख की वित्तीय सहायता सात वर्षों से भुगतान न किए जाने का प्रकरणउच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2(ब)</u>

प्रस्तर 3- रु0 1,15,653 (@10%) की टीडीएस कटौती किए बिना कुल रु0 11,56,536/-का भुगतान किया जाना।

आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 194I के अनुसार-

"Any person, not being an individual or a Hindu undivided family, who is responsible for paying to a resident any income by way of rent, shall, at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by the issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income-tax thereon at the rate of—

(a) two per cent for the use of any machinery or plant or equipment; and

(b) ten per cent for the use of any land or building (including factory building) or land appurtenant to a building (including factory building) or furniture or fittings:

Provided that no deduction shall be made under this section where the amount of such income or, as the case may be, the aggregate of the amounts of such income credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year by the aforesaid person to the account of, or to, the payee, does not exceed one hundred and eighty thousand rupees."

कार्यालय उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकारी प्रयोजकों के लिए निजी भवन को किराए पर दिये जाने हेतु श्रीमती विश्वेश्वरी देवी पत्नी स्व0 श्री के0एल0 मलसी एवं सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग के मध्य पट्टे दिये जाने हेतु समझोता हुआ। जिमसे आयोग द्वारा, पट्टाकर्ता को प्रतिमाह रु0 32,126/- का मासिक किरया दिया जाना था।

आयोग द्वारा, श्रीमती विश्वेश्वरी देवी (भवन स्वामी) को वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक भवन किराए का भुगतान बिना टीडीएस कटौती (@10%) के किया गया जिसका विवरण निम्नवत

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	भवन स्वामी को भुगतान की गयी धनराशि रु0 में	टीडीएस कटौती
1.	2014-15	3,85,512	0
2.	2015-16	3,85,512	0
3.	2016-17	3,85,512	0
योगफल		11,56,536	

है-

इस प्रकार, आयोग द्वारा, श्रीमती विश्वेश्वरी देवी (भवन स्वामी) को रु0 11,56,536/- का भुगतान बिना टीडीएस कटौती (@10%) के किया गया।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उत्तराखण्ड **अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून** ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया किकार्य की अधिकता एवं भुगतान अधिक

समय से लंबित होने के कारण आयकार की धनराशि की कटौती नहीं की जा सकी। जिसे काटे जाने हेतु संबंधी को अवगत करा दिया जाएगा।

आयोग स्वतः ही संप्रेक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः आयोग द्वारा रु0 1,15,653 (@10%) की टीडीएस कटौती किए बिना कुल रु0 11,56,536/- का भुगतान किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर 04: अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना।

सचिव,उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोगउत्तराखण्ड,देहरादून की रोकड़ वही की जांच सम्प्रेक्षा दल द्वारा किये जाने पर निम्नलिखित अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए-

1- इकाई के द्वारा माह 03/2005, 03/2006 एवं 03/2008 के बीएम 05 सम्प्रेक्षा को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे किसी गम्भीर अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

2- चयनित माह 03/2009,03/2010 एवं03/2012 के 22 बिल वाउचर धनराशि रूपये 3,08,667/- के बिल वाउचर सम्प्रेक्षा को जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। (संलग्नसूची अनुसार)

क्रम संख्या	माह	बिल क्र./वाउचर क्र.	धनराशि
1	03/2009	--	800
2	03/2009	--	1200
3	03/2009	--	25000
4	03/2009	--	883
5	03/2009	--	2995
6	03/2009	--	1240
7	03/2009	--	24000
8	03/2009	--	29776
9	03/2010	-/28	1501
10	03/2010	-/29	738
11	03/2010	-/63	16543
12	03/2010	-/64	13364
13	03/2010	-/69	1417
15	03/2010	-/73	4752
16	03/2010	-/126	38360
17	03/2012	-/12	20000
18	03/2012	-/13	6595
19	03/2012	-/14	67500
20	03/2012	-/15	36000
21	03/2012	-/16	4440
22	03/2012	-/80	11563
योग			**3,08,667.00**

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि उक्त अवधि में कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण/ सेवा निवृत्त होने के कारण अत्यधिक पुराने अभिलेखों को निर्धारित समयावधि में ढूँढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे आगामी लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

उक्त से स्पष्ट था कि इकाई के द्वारा इकाई के द्वारामाह 03/2005, 03/2006, एवं 03/2008 की बी एम 05 एवं उक्त चयनित माहों के 22 बिल वाउचर धनराशि रूपये 3,08,667/- के बिल वाउचर सम्प्रेक्षा को जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी
			--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i)शून्य
3. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री आर.पी. पंत (प्रभारी)	सचिव	13.11.2003 से 31.03.2004
2	श्री जे0सी0 बेरी	सचिव	01.04.2004 से 06.06.2005
3	श्रीमती वंदना सिंह	सचिव	06.06.2005 से 07.05.2010
4	श्रीमती अनसुईया रावत	सचिव	07.05.2010 से 31.08.2012
5	श्री गीता राम नौटियल	सचिव	31.08.2012 से 07.06.2019
6	श्री योगेंद्र रावत	सचिव	07.06.2019 से 28.06.2019
7	श्री बिपिन चंद्र रतूडी	सचिव	28.06.2019 से 05.11.2020
8	श्री योगेंद्र रावत	सचिव	14.12.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून**को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/ए.एम.जी.-1, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,द्वितीय तल,"महालेखाकार भवन", कौलागढ़,आई.पी.ई., देहरादून - 248 195**को प्रेषित कर दी जाय ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-I